जन–सुनवाई कार्यवृत्त

भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत खनन परियोजना मैसर्स श्री जय चन्द लाल डागा, एम.एल. नम्बर 08/76–आर–12/2006, क्षेत्रफल 18.59 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 853, निकट ग्राम–कोटड़ी, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर **{कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 89.0164 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता 23,94,989.84 टी.पी.ए. (रोम)}** में बॉल क्ले, सिलिका रेत, रेड ऑचर एवं येलो ऑचर के खनन की उत्पादन क्षमता 50000 टी.पी.ए. से बढ़ा कर 2,00,014 टी.पी.ए. (रोम) करने के लिये आवश्यक पर्यावरणीय स्वीकृती हेतु जनसुनवाई जिला कलक्टर बीकानेर के प्रतिनिधि श्री राजेश कुमार नायक, उपखण्ड अधिकारी, कोलायत, बीकानेर एवं राजकुमार मीणा, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर की उपस्थिति में **ग्राम पंचायत भवन कोटड़ी, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर** में दिनांक **08.01.2025** को दोपहर 3.00 बजे आयोजित की गई। उक्त क्लस्टर क्षेत्र में आने वाली खनन ईकाईयों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	खनन ईकाई का नाम	एम.एल. नम्बर / रेफरेन्स नम्बर	खनन ईकाई का क्षेत्रफल	खनन ईकाई की उत्पादन क्षमता
1.	मैसर्स श्री जय चन्द लाल डागा	08/76–आर–12/2006	18.59 हैक्टेयर	50,000 टी.पी.ए. से बढ़ा कर 2,00,014 टी.पी.ए. (रोम)
2.	मैसर्स जय करणी माईन्स एण्ड मिनरल्स	01/2015	4.00 हैक्टेयर	1,58,649 टी.पी.ए. (रोम)
3.	मैसर्स श्री दया मिनरल्स	36/2014	4.8641 हैक्टेयर	1,35,000 टी.पी.ए. (रोम)
4.	मैसर्स एस.आर. माईन्स एण्ड मिनरल्स	18/2012	4.3654 हैक्टेयर	3,93,020 टी.पी.ए. (रोम)
5.	मैसर्स श्रीमति प्रेमलता गुप्ता	03/2014	2.25 हैक्टेयर	98,750 टी.पी.ए. (रोम)
6.	मैसर्स श्रीमति प्रेमलता गुप्ता	04/2014	2.00 हैक्टेयर	2,00,013.84 टी.पी.ए. (रोम)
7.	मैसर्स श्री महिपाल सिंह रावलोत	167/2011	4.2464 हैक्टेयर	24,750 टी.पी.ए. (रोम)
8.	मैसर्स श्री भरत कुमार सिंह भाटी	48/2011	4.5682 हैक्टेयर	1,50,000 टी.पी.ए. (रोम)
9.	मैसर्स श्री हरदयाल सिंह नरूका	49/2011	4.6817 हैक्टेयर	2,27,175 टी.पी.ए. (रोम)
10.	मैसर्स ओजस्वी माईन्स एण्ड मिनरल्स	07/2014	4.0409 हैक्टेयर	1,35,935 टी.पी.ए. (रोम)
11.	मैसर्स बीकानेर पोर्सलीन इण्डिया प्रा. लि.	54/2012	4.2428 हैक्टेयर	99,750 टी.पी.ए. (रोम)

Rajkr

क्षे.अ. अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

12.	मैसर्स ओजस्वी माईन्स एण्ड मिनरल्स	08/2014	4.2485 हैक्टेयर	1,35,937.5 टी.पी.ए. (रोम)
13.	मैसर्स श्री जयसिंह चारण	54/2013	4,9384 हैक्टेयर	1,35,937.5 टी.पी.ए. (रोम)
14.	मैसर्स श्री बनारसी दास अग्रवाल	48/2013	17.9979 हैक्टेयर	1,00,058 टी.पी.ए. (रोम)
15.	मैसर्स स्वास्तिक माईन्स एण्ड मिनरल्स	रेफरेन्स नम्बर 201810000130	3.9821 हैक्टेयर	2,00,000 टी.पी.ए. (रोम)

जनसुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर **परिशिष्ट "अ"** पर सलंग्न है। जनसुनवाई बाबत विज्ञप्ति दिनांक 05.12.2024 को समाचार पत्र 'द इण्डियन एक्सप्रेस' एवं 'राष्ट्रदूत' में प्रकाशित करवाई गई थी जिसकी प्रतियाँ **परिशिष्ट "ब"** पर संलग्न है।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए श्री राजकुमार मीणा, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, बीकानेर ने सभी आगुन्तको का स्वागत करते हुए अवगत करवाया कि उक्त जनसुनवाई वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचनाओं में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय, बीकानेर द्वारा आयोजित की जा रही है जिसमें जिला कलक्टर महोदय की तरफ से उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। उक्त जन सुनवाई की सूचना दो समाचार पत्रों में 30 दिवस पूर्व दी जा चुकी है। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को बताया गया कि उक्त परियोजना से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार द्वारा दी जायेगी। सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनने के पश्चात उपस्थित आमजन खनन परियोजना के सम्बन्ध में आपत्ति या सुझाव दर्ज करवा सकते है। उक्त जनसुनवाई की विडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। जनसुनवाई की विडियोग्राफी एवं दिये गये आक्षेप/सुझाव क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) को प्रेषित कर दिये जायेगें। इसके पश्चात उपखण्ड अधिकारी, कोलायत, बीकानेर की अनुमति से परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण हेतु **मैसर्स जयचन्द लाल डागा** के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार **"मैसर्स फुलग्रो एन्वायरमेन्टल एण्ड इंजिनियरिंग सर्विसेज इण्डिया प्रा. लि."** को आमंत्रित किया गया।

परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार **"मैसर्स फुलग्रो एन्वायरमेन्टल एण्ड इंजिनियरिंग सर्विसेज इण्डिया प्रा. लि."** के प्रतिनिधि द्वारा खनन परियोजना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत बताया गया कि उक्त खनन परियोजना एम.एल. नम्बर 08/76-आर-12/2006, क्षेत्रफल 18.59 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 853, निकट ग्राम-कोटड़ी, तहसील-कोलायत, जिला-बीकानेर **{कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 89.0164 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता 23,94,989.84 टी.पी.ए. (रोम)}** में बॉल क्ले, सिलिका सेंड, रेड ऑचर एवं येलो ऑचर के खनन की उत्पादन क्षमता 50000 टी.पी.ए. से बढ़ा कर 2,00,014 टी.पी.ए. (रोम)

Raj Ku

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला-बीकानेर

हेतु प्रस्तावित है। तत्पश्चात पर्यावरणीय सलाहकार ने खान की अवधि, खान का परिचय, खनन योजना, क्लस्टर परियोजना का विवरण मय नक्शा, खनिज भण्डार, खनन प्रक्रिया, जलवायु, जल बहाव, ढांचा और खनन गतिविधियों के द्वारा जैव विविधता, मिट्टी, पर्यावरणीय, वायु और ध्वनि पर्यावरण पर प्रभाव एवं उनके शमीकरण/रोकथाम के उपायों के बारे में बताया तथा साथ ही पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी कार्यक्रम एवं प्रस्तावित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) के बारे में बताया।

परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा परियोजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाने के पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित समस्त जनसमूह को इस परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

श्री वासुदेव शर्मा, निवासी, कोटड़ी द्वारा आक्षेप लगाया गया कि इस खनन परियोजना से किसी भी तरीके की समस्या नहीं है लेकिन गाँव के नजदीक संचालित 3–4 सिलिका सेन्ड प्लॉन्ट से अत्याधिक मात्रा में धूल उड़ती है एवं पानी का छिड़काव भी नहीं किया जाता है जिससे आमजन को परेशानी होती है। इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा उक्त सभी सिलिका सेन्ड प्लॉन्ट का निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन प्रदान किया गया।

श्री पुखराज कुमावत निवासी कोटड़ी द्वारा आपत्ति दर्ज करवाते हुए कहा गया कि खनन ईकाईयों द्वारा सी.एस.आर. फण्ड का उपयोग ग्राम विकास में नहीं किया जाता है इस हेतु प्रशासन द्वारा सभी खनन ईकाईयों को उचित निर्देश प्रदान किये जाने चाहिये। इस सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा खनन ईकाई के प्रतिनिधि को अपना जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। खनन ईकाई के प्रतिनिधि श्री जयचन्द लाल डागा द्वारा सी.एस.आर फण्ड को गांव के विकास में देने एवं ग्रामवासियों को यथा सम्भव सहयोग करने का आश्वासन दिया गया।

उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित आमजन को सम्बोधित करते हुए कहा गया कि समस्त कोलायत क्षेत्र में खनन गतिविधियाँ होती है जिससे आमजन को व्यवधान उत्पन्न होता है परन्तु यदि खनन ईकाईयों द्वारा पर्यावरण संरक्षण के आवश्यक उपाय किये जावे तो खनन गतिविधि से पर्यावरण पर पड़ने वाले विपरित प्रभाव को कम किया जा सकता है। उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा ग्रामवासियों को अवगत करवाया गया कि खनन पट्टा धारकों द्वारा नियमों की पालना नहीं करने से सम्बन्धित शिकायतों के निवारण के सम्बन्ध में जल्दी ही एक व्हाट्सएप समुह (Whatsapp Group) बनाया जायेगा जिसमें स्थानीय लोगों एवम् प्रशासन के अधिकारियों को जोड़कर समस्याओं के त्वरित निस्तारण की कार्यवाही की जाएगी।

उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा यह भी सूचित किया गया कि मिनरल्स पर राज्य का अधिकार है। प्रदेश एवं देश को आगे बढाने के लिये मिनरल्स का खनन किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। सरकार का यह प्रयास रहा है कि प्रदेश के विकास हेतु खनन कार्य के

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

साथ–साथ ग्रामवासियों के जीवन स्तर को भी अच्छा बनाया जाए। उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को खनन ईकाईयों के नियमित निरीक्षण एवं स्थानीय निवासियों की समस्याओं के निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के लिये निर्देशित किया। उपखण्ड अधिकारी द्वारा ग्रामवासियों को आश्वासन दिया गया कि खनन कार्य से होने वाली समस्याओं का प्रशासन द्वारा उचित समाधान किया जाएगा एवं क्षेत्र में स्थित समस्त खनन ईकाईयों से राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित कानूनी प्रावधानों की पालना करवाना सुनिश्चित किया जायेगा। तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित समस्त लोगों को परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया गया।

श्री मोडाराम, निवासी कोटड़ी द्वारा निवेदन किया गया कि खनन ईकाई में रोजगार हेतु खनन कार्यों में स्थानीय निवासीयों एवं उनके संसाधनों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। जिसके प्रत्युत्तर में श्री जयचन्दलाल डागा, खनन पट्टा धारक द्वारा खनन कार्यों में स्थानीय निवासीयों को रोजगार देने एवं गाँव के संसाधनों का ही उपयोग करने की सहमति दी गई।

श्री ताराचंद मेघवाल, निवासी कोटड़ी द्वारा आक्षेप किया गया कि बन्द हो चुकी खनन ईकाईयों के खुले खड्डों में गिरने से अनेक पशु मर जाते है। श्री ताराचंद मेघवाल द्वारा बन्द हो चुकी खनन ईकाईयों को वापस भरने के प्रावधानों की जानकारी चाही गई। इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा अवगत करवाया गया कि खनन कार्य बन्द हो जाने के पश्चात खनन ईकाई को ऑवर बर्डन से वापस भरने का प्रावधान है। श्री ताराचंद मेघवाल द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी महोदय को निवेदन किया गया कि गाँव के बिलकुल नजदीक बन्द खनन ईकाई है उसे वापस भरने की कार्यवाही करवाई जाये जिसके प्रत्युत्तर में क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया।

श्री ताराचंद द्वारा यह भी आपत्ति की गई कि खनन ईकाई मैसर्स सम्पत लाल डागा के खनन पट्टे के पास से होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग को जाने वाली सड़क पूर्णतः खत्म हो चुकी है एवं पुलिस थाने के पीछे की सड़क पर भी खनन के भारी वाहनों का आवागमन पूर्णतः बन्द करवाया जाये। जिसके प्रत्युत्तर में उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा इस सम्बन्ध में शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाही अम्ल में लाने का आश्वासन दिया गया।

फोजीराम, निवासी कोटड़ी द्वारा निवेदन किया गया कि खनन मालिकों द्वारा खान में कार्यरत श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा का समुचित प्रबन्ध किया जाना चाहिये जिस हेतु गॉव के विद्यालयों मे खेलने का सामान, पढ़ने के लिये पुस्तकालय का प्रबन्ध किया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा खनन ईकाई के प्रतिनिधि को गॉव के विद्यालयों में आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु निवेदन किया गया जिसके प्रत्युत्तर में खनन ईकाई के प्रतिनिधि श्री जयचन्दलाल डागा द्वारा श्रमिकों के बच्चों को उचित शिक्षा एवं गॉव के विद्यालयों में सुविधाओं की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया गया।

Rajkr

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

श्री दलीप सिंह निवासी डेह द्वारा आक्षेप लगाया गया कि डी.एम.एफ.टी. फण्ड का उपयोग गाँव के विकास हेतु नहीं किया जाता है। खनन पट्टा धारक एवं स्थानीय प्रशासन की कमेटी में सरपंच महोदय द्वारा की गई स्थानीय माँग पर विचार नहीं किया जाता है जिससे गाँव का विकास नहीं हो पा रहा है। जिसके प्रत्युत्तर में उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा बताया गया कि डी.एम.एफ.टी. फण्ड के नियमों में सरकार द्वारा आवश्यक बदलाव किये गये है जिससे अब स्थानीय गाँव को पूर्व की अपेक्षा अधिक फण्ड प्राप्त हो सकेगा।

श्री नगाराम, निवासी कोटड़ी द्वारा आक्षेप लगाया गया कि तालाब एवं उसके आस–पास के क्षेत्र की नियमित साफ सफाई नहीं होती है जिससे पशु तालाब पर पानी नहीं पी सकते है। इस सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा बताया गया कि स्वच्छ भारत मिशन में ग्राम पचांयत स्तर पर आवश्यक कार्य किये जा रहे है जिससे आगामी समय में साफ सफाई के स्तर में सुधार के आशातीत परिणाम देखने को मिलेगें।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन–मानस से प्रस्तावित खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु पुनः निवेदन किया गया परन्तु ग्रामवासियों द्वारा अन्य कोई आपत्ति/आक्षेप प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी महोदय की अनुमति से क्षेत्रीय अधिकारी ने जनसुनवाई के समापन की घोषणा की एवं उपखण्ड अधिकारी महोदय तथा उपस्थित जन समुदाय का जन सुनवाई में आने के लिए आभार प्रकट किया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जनसुनवाई के दौरान एवं जनसुनवाई के पश्चात ग्राम पंचायत ग्रामवासियों के माध्यम से कोई आक्षेप इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है।

(राजकुमार मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी,
रा.रा.प्र.नि.म., बीकानेर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

(राजेश कुमार नायक)
उपखण्ड अधिकारी कोलायत
बीकानेर

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला-बीकानेर

जन सुनवाई हेतु नामित पदाधिकारियों एवं नागरिकों का उपस्थिति पत्र

प्रस्तावित खनन परियोजना मैसर्स जय चन्द लाल डागा, एम.एल. नम्बर 08/76–आर–12/2006, क्षेत्रफल 18.59 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 50000 टी.पी.ए. से बढा कर 2,00,014 टी.पी.ए. (रोम) करने, खसरा नम्बर 853, निकट ग्राम–कोटड़ी, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर जो कि क्लस्टर परियोजना {मैसर्स जय चन्द लाल डागा, एम.एल. नम्बर 08/76–आर–12/2006, क्षेत्रफल 18.59 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 50,000 टी.पी.ए. से बढा कर 2,00,014 टी.पी.ए. (रोम), मैसर्स जय करणी माईन्स एण्ड मिनरल्स एम.एल. नम्बर 01/2015, क्षेत्रफल 4.00 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 1,58,649 टी.पी.ए. (रोम), मैसर्स श्री दया मिनरल्स, एम.एल. नम्बर 36/2014, क्षेत्रफल 4.8641 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 1,35,000 टी.पी.ए. (रोम), मैसर्स एस.आर. माईन्स एण्ड मिनरल्स, एम.एल. नम्बर 18/2012, क्षेत्रफल 4.3654 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 3,93,020 टी.पी.ए. (रोम), मैसर्स श्रीमति प्रेमलता गुप्ता, एम.एल. नम्बर 03/2014, क्षेत्रफल 2.25 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 98,750 टी.पी.ए. (रोम), मैसर्स श्रीमति प्रेमलता गुप्ता, एम.एल. नम्बर 04/2014, क्षेत्रफल 2.00 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 2,00,013.84 टी.पी.ए. (रोम), मैसर्स श्री महिपाल सिंह रावलोत, एम.एल. नम्बर 167/2011, क्षेत्रफल 4.2464 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 24,750 टी.पी.ए. (रोम), मैसर्स श्री भरत कुमार सिंह भाटी, एम.एल. नम्बर 48/2011, क्षेत्रफल 4.5682 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 1,50,000 टी.पी.ए. (रोम), मैसर्स श्री हरदयाल सिंह नरूका, एम.एल. नम्बर 49/2011, क्षेत्रफल 4.6817 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 2,27,175 टी.पी.ए. (रोम), मैसर्स ओजस्वी माईन्स एण्ड मिनरल्स, एम.एल. नम्बर 07/2014, क्षेत्रफल 4.0409 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 1,35,935 टी.पी.ए. (रोम), मैसर्स बीकानेर पोर्सलीन इण्डिया प्रा. लि., एम.एल. नम्बर 54/2012, क्षेत्रफल 4.2428 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 99,750 टी.पी.ए. (रोम), मैसर्स ओजस्वी माईन्स एण्ड मिनरल्स, एम.एल. नम्बर 08/2014, क्षेत्रफल 4.2485 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 1,35,937.5 टी.पी.ए. (रोम), मैसर्स श्री जयसिंह चारण, एम.एल. नम्बर 54/2013, क्षेत्रफल 4,9384 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 1,35,937.5 टी.पी.ए. (रोम), मैसर्स श्री बनारसी दास अग्रवाल, एम.एल. नम्बर 48/2013, क्षेत्रफल 17.9979 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 1,00,058 टी.पी.ए. (रोम), मैसर्स स्वास्तिक माईन्स एण्ड मिनरल्स, रेफरेन्स नम्बर 201810000130, क्षेत्रफल 3.9821 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 2,00,000 टी.पी.ए. (रोम)} कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 89.0164 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता 23,94,989.84 टी.पी.ए. (रोम) में स्थित है, में बॉल क्ले, सिलिका सेंड, रेड ऑचर एवं येलो ऑचर के खनन की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 08.01.2025 को आयोजित जन सुनवाई की बैठक ।

स्थानः– ग्राम पंचायत भवन कोटड़ी, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर
दिनांकः–08.01.2025 समय दोपहर 3.00 बजे।

क्र.स.	नाम	पद एवं विभाग/कार्यालय/निवासी	हस्ताक्षर
1.	राजेश कुमार नायर	उपखंड अधिकारी, कोलायत	
2.	Rajkumar Meena	R.O. RSPCB, Bikaner	
3.	मोहनलाल	सरपंच प्रतिनिधि	
4.	Girish Vyas	AEE, RSPCB, Bikan	
5.	[illegible]	Mines owner	

6.	आदुराम	कोटड़ी	आदुराम
7.	फौजीराम	कोटड़ी	फौजीराम
8.	मांगीलाल पंवार	पानी	[illegible]
9.	नगाराम	कोटड़ी	नगाराम
10.	गोविन्दराम	कोटड़ी	गोविन्दराम
11.	मोडाराम	कोटड़ी	मोडाराम
12.	पुरखाराम	कोटड़ी	पुरखाराम
13.	रमेश पुरोहित	कोलायत	[illegible]
14.	लक्ष्मी सिंह	कोटड़ी	[illegible]
15.	पूराराम	कोटड़ी	पूराराम
16.	Ashok Kumar	कोटडी	[illegible]
17.	उदाराम [illegible]	कोटड़ी	[illegible]
18.	गोपाल [illegible]	कोटड़ी	[illegible]
19.	सोहनलाल	कोटडी	सोहनलाल
20.	सुन्दरलाल	कोटडी	सुन्दरलाल
21.	ऋषिराम	कोटडी	[illegible] AS-कोटडी
22.	गणेश	कोटडी	गणेश
23.	रामलाल	कोटडी	रामलाल
24.	ओमलाल	कोटड़ी	ओमलाल
25.	नारायण	कोटड़ी	नारायण
26.	अमरचन्द	कोटडी	अमरचन्द
27	पप्पु	कोटड़ी	पप्पु
28.	किशोर	कोटड़ी	किशोर
29.	भेराराम	कोटडी	भेराराम

30.	हेमाराम	कोरडी	हेमाराम
31.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
32.	भंवरलाल	चोनी	भंवरलाल
33.	सोहनलाल	कोरडी	सोहनलाल
34.	ओजाराम	कोरडी	ओजाराम
35.	फेकरराम	कोरडी	फेकरराम
36.	मनोज	कोरडी	मनोज
37.	वासुदेव बैरवा	कोरडी	[illegible]
38.	[illegible] सिंह 125 बोर्ड	[illegible]	8094510918
39.	ताराचंद मेघवाल	कोरडी	ताराचंद 8559980351
40.	Pratibha	FEES, JAIPUR	Pratibha
41.	Gitika	FEES, Jaipur	Gitika
42.			
43.			
44.			
45.			
46.			
47.			
48.			
49.			
50.			
51.			
52.			
53.			